

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2389

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना

2389. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तारीख तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की है, जिससे यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस जाने की अनुमति मिल गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा का उपयोग करने की शर्तों और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के विकल्प के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के लिए सीसीएस नियम, 2025 के अंतर्गत संशोधित नियम जारी किए हैं और यदि हां, तो न्यूनतम सेवा वर्षों सहित ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या ऐसे मामलों में जहां पति/पत्नी जीवित नहीं हैं, बच्चे यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित परिवार भुगतान का 60 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यूपीएस ढांचे के अंतर्गत ऐसे बच्चों को क्या वैकल्पिक लाभ देय है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले नए शामिल होने वाले, मौजूदा कर्मचारियों और पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,22,123 है।

(ख): सरकार ने केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है, को निम्नलिखित शर्तों और समय-सीमाओं के अध्यधीन अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय एनपीएस पर वापस लौटने की अनुमति दी है -

- (i) सेवानिवृत्ति के मामले में: सेवानिवृत्ति की तिथि से बारह माह पूर्व तक;
- (ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से तीन माह पूर्व तक;
- (iii) मौलिक नियम 56 (ज) के अंतर्गत त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, जो दंड नहीं है: त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय।

एक बार में एकतरफा अंतरण करने की यह सुविधा, दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या विचाराधीन है, के लिए अनुमत नहीं होगी।

(ग): यूपीएस दिनांक 01.04.2025 को लागू हुआ। प्रारंभ में यूपीएस चुनने के विकल्प का प्रयोग करने का अवसर दिनांक 30.06.2025 तक उपलब्ध था। इस समयसीमा को पहले दिनांक 30.09.2025 तक और फिर आगे बढ़ाकर दिनांक 30.11.2025 तक कर दिया गया।

(घ) और (ङ): सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प का चयन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए, सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 12 माह में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित पेआउट देय होगा। यह पेआउट कम से कम 10 वर्ष की सेवा के अध्यधीन, कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए। इसके अलावा, 10 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के पश्चात, सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम पेआउट देय होगा।

भुगतान प्राप्तकर्ता की मृत्यु से ठीक पहले, उसे स्वीकार्य पेआउट राशि का 60% हिस्सा उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक पेआउट के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस के अंतर्गत बच्चे सुनिश्चित पारिवारिक पेआउट का 60% प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2389

ANSWERED ON MONDAY, 15 DECEMBER, 2025/ AGRAHAYANA 24, 1947 (SAKA)

Unified Pension Scheme

2389 SHRI JANARDAN SINGH SIGRIWAL

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the total number of employees who opted for Unified Pension Scheme (UPS) instead of National Pension System (NPS) till date;
- (b) whether the Government has introduced the one-time, one-way switch facility under the UPS allowing employees who opted for UPS to move back to the NPS and if so, the details including the conditions and timeframe for exercising this facility;
- (c) whether the Government has extended the timeline for exercising the option to join UPS and if so, the details thereof;
- (d) whether the Government has issued revised rules under CCS Rules, 2025 for full assured payout and if so, the details including the minimum years of service; and
- (e) whether children are entitled to receive 60% of assured family payout under UPS in cases where the spouse is not alive, if so, the details thereof and if not, the alternative benefits payable to such children under the UPS framework?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) The total number of employees, including new joiners, existing employees, and past retirees, who opted Unified Pension Scheme (UPS) as on 30.11.2025 is 1,22,123.

(b) The Government has allowed the Central Government employees, who opted for UPS, one-time one-way switch facility to revert back to NPS any time during their service, subject to the following conditions and timeframes:

- (i) In case of superannuation: not later than twelve months prior to the date of superannuation;
- (ii) In case of voluntary retirement: not later than three months prior to the deemed date of voluntary retirement;
- (iii) In case of resignation or compulsory retirement under Fundamental Rule 56(j), which is not a penalty: at the time of resignation or compulsory retirement.

This facility of one-time one-way switch will not be allowed in case of removal, dismissal or compulsory retirement as a penalty or for cases where disciplinary proceedings are ongoing or contemplated.

(c) UPS came into effect on 01.04.2025. The window for exercising the option to opt for UPS was initially available up to 30.06.2025. This timeline was subsequently extended first up to 30.09.2025 and thereafter further extended up to 30.11.2025.

(d) & (e) Government has notified the Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025, to regulate the service related matters of Central Government employees who opted for UPS under NPS. For a minimum qualifying service of 25 years, assured payout at rate of 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation shall be payable. This payout to be proportionate for lesser service period subject to a minimum of 10 years of service. Further, after minimum qualifying service of 10 years, assured minimum payout of Rs.10,000 per month on superannuation shall be payable

Family payout @60% of the payout admissible to the payout holder, immediately before his demise, will be paid to the legally wedded spouse. Children are not entitled to receive 60% of assured family payout under UPS.